ग्राम पंचायत अब्दुलापुर, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023

भाग-एक

1. **प्रस्तावना**

{क} ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनाँक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत अब्दुलापुर, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा के अवधि "01.04.21 से 31.03.23" तक के लेखों का अंकेक्षण हि.प्र राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती सपना देवी	01-04-21 से 31-03-23

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री अशोक कुमार	01-04-21 से 31-03-23

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत अब्दुलापुर के अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि {₹ लाखों में}
1.	4.2	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में अन्तर पाया जाना	0.02
2.	5	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	25.79

3.	6	प्रियासॉफ्ट के तहत दर्ज की गई प्राप्ति/व्यय व मैनुअल रोकड़ बही में दर्ज किये गये आंकड़ों में अंतर, प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए शेष तथा बैंक पास बुक शेष में अंतर पाया जाना	0.16
4.	7	गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.38
5.	8	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने से राजस्व हानि	0.72
6.	12	क्रय प्रत्येक स्टोर/स्टॉक की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्रविष्टि न करना	7.20
7.	16	विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु क्रय सामान की अपेक्षा कम सामान के प्रयोग/लेंखाकन के फलस्वरूप अधिक/अनियमित भुगतान/व्यय करना	0.04

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

अनिर्णीत पैरों के निम्न विवरण से स्पष्ट है कि गत लेखा अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी जोकि अत्यंत चिंताजनक है । अतः ग्राम पंचायत इन लंबित पैरों के निपटारे हेतु विशेष कार्रवाई करनी सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाये ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण संभव हो सके ।

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में निम्नलिखित दर्शायी गई है :-

1 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि “04/2018 से 03/2019” तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1	पैरा 5	अनिर्णीत	
2	पैरा 7	अनिर्णीत	
3	पैरा 8	अनिर्णीत	
4	पैरा 12	अनिर्णीत	
5	पैरा 13	अनिर्णीत	

6	पैरा 15	अनिर्णीत	

2 **अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि "04/2019 से 03/2021" तक**

क्रम संख्या	**पैरा संख्या**	**पैरा स्थिति**	**टिप्पणी**
1	पैरा 3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की पुष्टि उपरांत
2	पैरा 4, 4.2	अनिर्णीत	
3	पैरा 5	अनिर्णीत	
4	पैरा 6	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित
5	पैरा 7	अनिर्णीत	
6	पैरा 8	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित
7	पैरा 9	अनिर्णीत	
8	पैरा 10	अनिर्णीत	
9	पैरा 11	अनिर्णीत	
10	पैरा 12	अनिर्णीत	
11	पैरा 13	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित
12	पैरा 14	अनिर्णीत	
13	पैरा 15	अनिर्णीत	
14	पैरा 16	अनिर्णीत	

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत अब्दुलापुर, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/2021 से 31/03 /2023" तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री अजय कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 28-12-2023 से 06-01-2024 के दौरान पंचायत कार्यालय अब्दुलापुर में किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया:-

वित्तीय वर्ष	**आय**	**व्यय**
2021-22	07/21	07/21
2022-23	02/23	06/22

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के सचिव/प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत अब्दुलापुर, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर **₹5,600**/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 158(ग) दिनाँक 06.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत अब्दुलापुर से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत अब्दुलापुर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{क} स्व: स्त्रोत:- ग्राम पंचायत अब्दुलापुर के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" तक स्व: स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	676397.00	548758.00	1225155	445919.00	779236.00
2022-23	779236.00	596707.00	1375943	745929.00	630014.00

{ख} अनुदान:- ग्राम पंचायत अब्दुलापुर के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	1319995.70	4792770.00	6112765.70	3761863.00	2350902.70
2022-23	2350902.70	4985691.00	7336593.70	4757716.00	2578877.70

{ग} दिनाँक 31.03.23 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम संख्या	शीर्ष	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1.	General/5th FC	KCCB KANGRA	20033022585	622600.77
2.	14TH FC	KCCB ZMANABAD	50055728954	410008.00
3.	SBM/TSC	KCCB ZMANABAD	50055728987	0.00
4.	VKVNY	IDBIB KANGRA	159104000012892	291275.00
5.	SDP	KCCB ZMANABAD	50055728091	149488.00
6.	MPLAD	KCCB ZMANABAD	50055728104	13785.00
7.	15TH FC	HDFCB KANGRA	50100347348782	1719549.00
8.	**हस्तगत रोकड़**			**236.00**
कुल योग				**3206941.77**

4.1 बैंक समाधान विवरणी:-

दिनाँक 31-03-23 को बैंक अनुसार अन्त शेष	**3206941.77**
दिनाँक 31-03-23 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (क+ख)	**3208891.70**
अंतर	**1949.93**

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में ₹0.02 लाख का अन्तर पाया जाना :-

ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण में पाया गया कि रोकड़ बही व बैंक खातों में दिनाँक 31-03-23 को **₹1949.93** की राशि का अन्तर था । पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 158क(1) दिनाँक 06.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत अब्दुलापुर से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी

अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या GP/Abdulapur.02 दिनाँक 06.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक शेषों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 रोकड़ बही का रख-रखाव नियमानुसार न करना :

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जाएँगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा | यह खाता पंचायत निधि खाता – क के रूप में जाना जाएगा | इसी तरह , नियम-3 में सहिंता 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियों और प्राप्त ऋण हेतु पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता – ख जाना जाएगा | परन्तु अंकेक्षण अवधि में पंचायत द्वारा सभा निधि व 5th fc के लिए एक ही रोकड़ बही व पास बुक का रख रखाव किया था, जिससे पंचायत की वित्तीय स्थिति सच्ची एवं सही स्थिति नहीं दर्शाती है, जबकि निदेशक पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HA(5)C(15)-13(L)5-47005-81, दिनाँक 15-02-12 में दिए गये निर्देशों के अनुसार अलग-2 स्कीमों के लिए अलग-2 बैंक खाते खोले जाने अपेक्षित है।

अत: नियमानुसार, निर्देशानुसार रोकड़ बही व बैंक खातों का स्कीमवार रख-रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता – क व खाता – ख के अनुरूप रोकड़ बही एवं बैंक खातों का स्कीमवार का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

4.4 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुये एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय-व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय-व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई। इस बारे

उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

4.5 लेखा खाता /खाताबही तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस –किस कार्य हेतु कितनी – कितनी राशि प्राप्त हुई है व किस – किस कार्य पर कितना – कितना व्यय हुआ है। अतः वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार न करने औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षणावधि वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

5. अनुदान राशि ₹25.79 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-क)** के अनुसार दिनाँक 31-03-23 तक अनुदान राशि ₹2578877.70 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 158क(2) दिनाँक 06.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत अब्दुलापुर से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या GP/ABDULAPUR.02 दिनाँक 06.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः वर्णित शेष अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. प्रियासॉफ्ट के तहत दर्ज की गई प्राप्ति/व्यय व मैनुअल रोकड़ बही में दर्ज किये गये आंकड़ों में अन्तर, प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए शेष तथा बैंक पास बुक शेष में ₹0.16 लाख का अंतर पाया जाना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम. एम. पी.) प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लीकेशन है जिनमें पंचायत की दैनिक कार्यवाही जैसे कि पंचायत द्वारा की गई सेवाओं/सामान खरीद/भुगतान सम्पति इत्यादि का इन्द्राज करना था।

अंकेक्षण अवधि हेतु चयनित माह के दौरान प्रियासॉफ्ट में दर्शायी गई प्राप्ति व व्यय के आंकड़ों व पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गई मैनुअल रोकड़ बही के आंकड़ों में निम्न अंतर पाया गया:-

(क) प्रियासॉफ्ट में दर्ज मासिक प्राप्ति /व्यय व रोकड़ बही के अनुसार मासिक खर्च में अंतर (except manrega)

क्रम सं.	माह	प्राप्ति राशि (₹ में)			भुगतान राशि (₹ में)		
		प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर
1	7/21	6565.00	6565.00	0.00	17400.00	17400.00	0.00
2	6/22	208975.00	204231.00	4744.00	340273.00	340273.00	0.00
3	2/23	330200.00	341700.00	11500.00	22475.00	33975.00	11500.00

(ख) प्रियासॉफ्ट में दर्ज वार्षिक प्राप्ति /व्यय व रोकड़ बही के अनुसार वार्षिक खर्च में अंतर (Except MNREGA)

क्रम स.	वर्ष	प्राप्ति राशि (₹ में)			भुगतान राशि (₹ में)		
		प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर
1	2021-22	2220073.77	2220076.00	2.23	959882.00	1086330.00	126448.00
2	2022-23	2714509.00	2637218.00	77291.00	2614440.00	2558465.00	55975.00

(ग) प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए गए शेष तथा बैंक पास बुक शेष में अंतर पाया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:- (Except MNREGA)

वर्ष	**प्रियासॉफ्ट के अनुसार बैंक शेष**	**बैंक पासबुक के अनुसार शेष+(CASH IN HAND)**	**अंतर**
22-23	3222304.77+236(**Cash in Hand**) = 3222540.77	**3206941.77**	**15599.00**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 158क(4) दिनाँक 06.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या GP/ABDULAPUR.02 दिनाँक 06.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः अन्तर के कारणों की तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण ₹0.38 लाख का पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 33 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 102 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत को अपने कार्यक्षेत्र में निर्धारित दर से गृह कर आरोपित करने तथा उसके संग्रहण का अधिकार है।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपने अधीनस्थ सभी स्त्रोतों जहां से राजस्व उत्पन्न होता है, इतनी रकम का, जितनी बैंक, खजाना या अन्य लेखा-जोखा दिया है के लिए उधार दावा करते हुए, मासिक लेखे और विवरणी, अभिप्राप्त करने की व्यवस्था करेगा और उन्हें प्रारूप 10 में मांग रजिस्टर में नोट करवाएगा।

ग्राम पंचायत के प्रस्तुत अभिलेखों की जांच में पाया गया कि गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख अर्थात गृह कर के मांग व संग्रहण रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था। पंचायत द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2021-22 से 2022-23 के दौरान ₹50 प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि ₹38200 के पंचायत राजस्व की वसूली दिनाँक 31.03.23 को शेष थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट "ख"** व नीचे तालिका में दिया गया है:-

सम्पति कर:-

वर्ष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2021-22	691	50	0	34550	34550	0	34550
2022-23	692	50	34550	34600	69150	30950	38200

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी। मांग व वसूली रजिस्टर का साधारण प्रारूप -10 पर नहीं किया गया था जिससे कि लम्बित गृह कर तथा वसूली का सही पता लगाया जा सके। अत: गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख का संधारण न करना तथा गृह कर नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है, जो कि उपरोक्त नियमों की अवहेलना है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 158क(3) दिनाँक 06.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या GP/ABDULAPUR.02 दिनाँक 06.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राजस्व की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने से राशि ₹0.72 लाख की राजस्व हानि:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम '81' व '81ए' के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या स्प्लीमेंटरी पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गयी थी परन्तु आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की

आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को निम्न विवरणानुसार ₹**72438**/- का अनियमित भुगतान किया गया था:-

नाम	**मात्रा (cum)**	**फैक्टर**	**कुल मात्रा**	**दर (प्रति टन)**	**राशि**
रेत	129.02	1.62	209.01	60	12541
बजरी	218.06	1.52	331.45	60	19887
रेत	62.75	1.62	101.65	80	8132
बजरी	125.69	1.52	191.04	80	15284
पत्थर	11.75	2.24	26.32	80	2106
कुल योग					**57950**
पेनल्टी 25%					**14488**
कुल योग					**72438/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 158ख(5) दिनाँक 06.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/ABDULAPUR.02 दिनाँक 06.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण **रॉयल्टी** की गणना नहीं की जा सकी, उतर संतोषजनक नहीं है।

अतः ₹**72438/-** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non ferrous mining and Metallurgical Industries,102- Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिए जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके नियमानुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित करें।

9. बिल/ वाउचरों के भुगतान हेतु पारित आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संख्यापरीक्षा, संख्याकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2021 से 03/2023 के दौरान बिलों का भुगतान हेतू उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निम्न दिया गया है ।

क्र° स°	बर्ष	चयनित माह	चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि
1.	2021-22	07/21	**1467745.00**
2.	2022-23	06/22	**1398582.00**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 158ख(6) दिनाँक 06.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/ABDULAPUR.02 दिनाँक 06.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

10. बिल / वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनाँक अंकित न होना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार "पंचायत के सचिव प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनाँक उल्लेखित करेगा"।

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 07/21 व 06/22 के दौरान व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि माह 07/21 व 06/22 के दौरान व्यय की गई राशि से सम्बन्धित बिल/ वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनाँक अंकित नहीं थे जो कि उपरोक्त नियमों के विपरित है|

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 158ख(7) दिनाँक 06.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में

उनके प्रतिउतर संख्या GP/ABDULAPUR.02 दिनाँक 06.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

11. क्रय की गई सामग्री हेतु आपूर्तिकर्ताओं को नियम प्रावधानों के विपरीत नगद में भुगतान करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियमक 10(2) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा सामग्री के क्रय के लिए आपूर्तिकर्ता को किए जाने वाले **संदाय/भुगतान केवल क्रास-चैक द्वारा ही किए जाएँगे।**

परन्तु अंकेक्षण के दौरान पंचायत के अभिलेखों के अवलोकन पर पाया गया कि निम्नलिखित अदायगियां नगद की गई है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या/दिनाँक	क्रय की गई सामग्री	भुगतान की गई राशि (₹)
1.	P-2/21.09.2021	Office Expenses	1600
2.	P-5/07.03.2023	Office Expenses	1800
कुल योग			**3400/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 158ख(10) दिनाँक 06.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/ABDULAPUR.02 दिनाँक 06.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः वर्णित नियम प्रावधानों के विपरीत नकद भुगतान करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में की जाने वाली अदायगियां उपरोक्त नियम के अनुसार क्रास-चैक द्वारा ही किए जाने हेतु कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

12. क्रय सामान राशि ₹7.20 लाख की स्टॉक प्रविष्टि न करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार प्रत्येक खरीद की स्टॉक प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹720112/- के स्टोर/स्टॉक की प्रविष्टि नहीं की गई थी :-

क्रम संख्या	बिल/वा० संख्या, वर्ष/माह	फर्म का नाम	विवरण	राशि (₹)
1.	274, दिनाँक 06.07.21	मै. राकेश कुमार	निर्माण सामग्री (मनरेगा)	73300
2.	107, दिनाँक 06.07.21	मै. संदीप कुमार	निर्माण सामग्री (मनरेगा)	81530
3.	121, दिनाँक 06.07.21	मै. संदीप कुमार	निर्माण सामग्री (मनरेगा)	92220
4.	122, दिनाँक 06.07.21	मै. संदीप कुमार	निर्माण सामग्री (मनरेगा)	94306
5.	123, दिनाँक 06.07.21	मै. संदीप कुमार	निर्माण सामग्री (मनरेगा)	58450
6.	103, दिनाँक 06.07.21	मै. संदीप कुमार	निर्माण सामग्री (मनरेगा)	77411
7.	154, दिनाँक 06.07.21	मै. संदीप कुमार	निर्माण सामग्री (मनरेगा)	67900
8.	151, दिनाँक 06.07.21	मै. संदीप कुमार	निर्माण सामग्री (मनरेगा)	55900
9.	155, दिनाँक 06.07.21	मै. संदीप कुमार	निर्माण सामग्री (मनरेगा)	59600
10.	171, दिनाँक 06.07.21	मै. संदीप कुमार	निर्माण सामग्री (मनरेगा)	28779
11.	173, दिनाँक 06.07.21	मै. संदीप कुमार	निर्माण सामग्री (मनरेगा)	3816
12.	**10** दिनाँक 06.07.21	मै. सनशाइन कंक्रीट वर्क्स	मनरेगा बोर्ड	2900
13.	**553** दिनाँक 06.07.21	मै. मैजिक बेस कंक्रीट वर्क्स	मनरेगा बोर्ड	3000

14.	**553** दिनाँक 06.07.21	मै. मैजिक बेस कंक्रीट वर्क्स	मनरेगा बोर्ड	3000
15.	**555** दिनाँक 06.07.21	मै. मैजिक बेस कंक्रीट वर्क्स	मनरेगा बोर्ड	3000
16.	**554** दिनाँक 06.07.21	मै. मैजिक बेस कंक्रीट वर्क्स	मनरेगा बोर्ड	3000
17.	**551** दिनाँक 06.07.21	मै. मैजिक बेस कंक्रीट वर्क्स	मनरेगा बोर्ड	3000
18.	**552** दिनाँक 06.07.21	मै. मैजिक बेस कंक्रीट वर्क्स	मनरेगा बोर्ड	3000
19.	**576** दिनाँक 06.07.21	मै. मैजिक बेस कंक्रीट वर्क्स	मनरेगा बोर्ड	3000
20.	**577** दिनाँक 06.07.21	मै. मैजिक बेस कंक्रीट वर्क्स	मनरेगा बोर्ड	3000
			कुल योग	**720112/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 158ख(9) दिनाँक 06.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/ABDULAPUR.02 दिनाँक 06.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13. माप पुस्तिकाओं का सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों से नमूना जाँच व सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 104 (i) व (ii) के अनुसार ग्राम पंचायत अपने स्तर पर निष्पादित किये जाने वाले संकर्मो की दशा में, तकनीकी सहायक द्वारा निर्माण पर्यवेक्षण अनिवार्य होगा तथा सम्बद्ध कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा, तकनीकी सहायक के तीन लाख रूपये तक की लागत के पैमाइश किये गये संकर्मो के दस प्रतिशत पर परीक्षण जांच संचालित करना अपेक्षित है तथा नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है।

नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि उपरोक्त नियम की अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गई थी, जिसमें से कुछ प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	शीर्ष	माप पुस्तिका व पेज संख्या
1.	C/O Kuhal prithvi ram khaira land to parshotam land	मनरेगा	13687/50-53
2.	C/O Kuhal madan lal house to shruti parkash land	मनरेगा	13687/83-86
3.	C/O Ambulance road main road to Ashwani house	मनरेगा	**13687**/56-58
4.	C/O Ambulance road main road to panchayat Ghar	मनरेगा	13687/54-55

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 158ख(8) दिनाँक 06.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/ABDULAPUR.02 दिनाँक 06.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

14 दोहरी उपस्थिति के कारण अनियमित भुगतान करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान मनरेगा के मस्ट्रोल में उपस्थित, पंचायत सदस्यों की उपस्थिति की जाँच पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर के साथ करने पर पाया गया कि पंचायत सदस्यों की उपस्थिति सामान दिन में मनरेगा मस्ट्रोल व पंचायत बैठक दोनों में दर्ज की गयी थी जो कि अनियमित है। उपरोक्त अनियमिता का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	मस्ट्रोल संख्या/अवधि	निर्माण कार्य का नाम	मस्ट्रोल में उपस्थिति की तिथि	पंचायत वैठक में उपस्थिति की तिथि	मानदेय के रूप में भुगतान की गई राशि	मनरेगा की मजदूरी दर के रूप में भुगतान की गई राशि
1.	श्रीमती निशा देवी, वार्ड पंच	2312/03.07.21 से 15.07.21	Cleaning minor canal parshotam land to ashwani land	06.07.21	06.07.21	250/-	203/-
	श्रीमती रमना देवी, वार्ड पंच					250/-	203/-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 158ख(12) दिनाँक 06.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या GP/ZAMANABAD.06 दिनाँक 06.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त अनियमितता का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये अनियमित भुगतान की वसूली वस्तुस्थिति अनुसार यथोचित दर से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15. आपूर्तिकर्ता को ₹1600 लाख का अधिक व अनियमित भुगतान करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत मै. मैजिक बेस कंक्रीट वर्क्स को मनरेगा बोर्ड के लिए ₹3000 की दर से भुगतान किया गया था परन्तु वर्ष 2020-21 की निविदाओं की तुलना करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा बोर्ड के लिए ₹2800 की दर अनुमोदित की गई थी जिसके कारण पंचायत द्वारा ₹1600 का अधिक भुगतान फर्म को किया गया था, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बिल संख्या/दिनाँक	भुगतान की तिथि	विवरण	भुगतान की गई राशि (A)	विवरण	पंचायत द्वारा अनुमोदित दर	भुगतान योग्य राशि (B)	अधिक भुगतान (A-B)
1	**553** दिनाँक 20.02.21	06.07.21	मनरेगा बोर्ड	3000	मनरेगा बोर्ड	2800	2800	200
2	**554** दिनाँक 20.02.21	06.07.21	मनरेगा बोर्ड	3000	मनरेगा बोर्ड	2800	2800	200
3	**555** दिनाँक 20.02.21	06.07.21	मनरेगा बोर्ड	3000	मनरेगा बोर्ड	2800	2800	200
4	**554** दिनाँक 20.02.21	06.07.21	मनरेगा बोर्ड	3000	मनरेगा बोर्ड	2800	2800	200
5	**551** दिनाँक 20.02.21	06.07.21	मनरेगा बोर्ड	3000	मनरेगा बोर्ड	2800	2800	200
6	**552** दिनाँक 20.02.21	06.07.21	मनरेगा बोर्ड	3000	मनरेगा बोर्ड	2800	2800	200

7	**576** दिनाँक 20.02.21	06.07.21	मनरेगा बोर्ड	3000	मनरेगा बोर्ड	2800	2800	200
8	**577** दिनाँक 20.02.21	06.07.21	मनरेगा बोर्ड	3000	मनरेगा बोर्ड	2800	2800	200
							कुल योग	**1600/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 158ख(11) दिनाँक 06.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/ZAMANABAD.06 दिनाँक 06.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उक्त अनियमितता के सन्दर्भ में अपना पक्ष रखते हुये वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

16. विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु क्रय सामान की अपेक्षा कम सामान के प्रयोग/लेंखाकन के फलस्वरूप राशि ₹0.04 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान/व्यय करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों के अवलोकन में पाया गया कि माप पुस्तिकाओं में निर्माण सामग्री (सीमेंट) का निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इन कार्यों के लिए निर्माण सामग्री (सीमेंट) का क्रय अधिक किया गया था और बची हुई सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में भी वापिस नहीं लिया गया था, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	माप पुस्तिका संख्या/ पेज संख्या	सामग्री का नाम	क्रय की गई सामग्री की मात्रा	निर्माण कार्य पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा	अंतर	दर	राशि
1.	C/O Kuhal prithvi ram khaira land to parshotam land	13687 पृष्ट संख्या 50-53	सीमेंट	157 बैग	148 बैग	9 बैग	323.55	2912
	कुल योग(क)							**2912/-**
2.	C/O Ambulance road main road to Ashwani house	13687 पृष्ट संख्या 56-58	सीमेंट	182 बैग	179 बैग	3 बैग	323.55	971
							कुल योग(ख)	**971/-**
							कुल योग (क+ख)	**3883/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 158ख(13),(14) दिनाँक 06.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/ZAMANABAD.06 दिनाँक 06.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: उक्त कार्यों हेतु क्रय निर्माण सामग्री की अपेक्षा कम सामान के प्रयोग/लेखांकन के फलस्वरूप अधिक भुगतान/अनियमित व्यय को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित व्यय जैसे ढुलाई आदि सहित उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17. विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख-रखाव न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 158ख(15) दिनाँक 06.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/ZAMANABAD.06 दिनाँक 06.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अत: वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

क्र. स.	**रजिस्टर/अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**सन्दर्भित नियम**
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	मासिक बैंक समाधान विवरणी	---	15(1)
3	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
4	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(14)

18. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया।

19. लघु-आपति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई हैं।

20. निष्कर्ष:- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है।

30 MAR 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

1681 — 1685

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल०ए०)एच(पंच)(xv)(2)246/2019–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि०प्र०।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा (हि०प्र०)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत अब्दुलापुर, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

30 MAR 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT Abdullapur BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA PINCODE 176001

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2021-22	676397	548758.00	1225155	445919.00	779236.00

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2021 IN CASH BOOK 676397.00

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT Abdullapur BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA PINCODE 176001

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2022-23	779236.00	596707.00	1375943	745929.00	630014

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK 779236.00

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत अबदुल्लापुर
विकास खण्ड कांगड़ा

प्रधान ग्राम पंचायत अबदु... वि.ख. ... जिला कांगड़ा

हस्ताक्षर..........
दिनांक..........

J.A

परिशिष्ट -क' पैरा-5 के संदर्भ में

FINANCIAL POSITION OF GRANT-IN-AID OF GP Abdullapur BLOCK KANGRA FOR THE YEAR 2021-22

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	750348.7	21115.00	771463.70	24936.00	746527.70
2	MGNREGA	0	3121452.00	3121452.00	3121452.00	0.00
3	ZP	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4	5TH FC	0	0.00	0.00	0	0.00
5	AAY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MPLAD	13008	394.00	13402.00	0.00	13402.00
7	MMAGY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
8	VKVNY	106604	340286.00	446890.00	359769	87121.00
9	SDRF	0	0.00	0.00	0.00	0.00
10	13TH FC	0	0.00	0.00	0.00	0.00
11	SBM	23621	554.00	24175.00	7603.00	16572.00
12	GRDY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
13	RGSA	0	0.00	0.00	0.00	0.00
14	SDP	386	50634.00	51020.00	37952.00	13068.00
15	MMGPY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	426028	1258335.00	1684363.00	210151.00	1474212.00
	TOTAL	**1319995.70**	**4792770.00**	**6112765.70**	**3761863.00**	**2350902.70**

FINANCIAL POSITION OF GRANT IN AID OF GP Abdullapur BLOCK KANGRA FOR THE YEAR 2022-23

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	746527.70	29464.00	775991.70	317729.00	458262.70
2	MGNREGA	0.00	2945180.00	2945180.00	2945180.00	0.00
3	ZP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	5TH FC	0.00	0	0.00	0	0.00
5	AAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MPLAD	13402.00	386	13788.00	0	13788.00
7	MMAGY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	VKVNY	87121.00	378509	465630.00	213947	251683.00
9	SDRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	13TH FC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	SBM	16572.00	121.00	16693.00	16693.00	0.00
12	GRDY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	RGSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	SDP	13068.00	182327.00	195395.00	45901.00	149494.00
15	MMGPY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	1474212.00	1449704.00	2923916.00	1218266.00	1705650.00
	TOTAL	**2350902.70**	**4985691.00**	**7336593.70**	**4757716.00**	**2578877.70**

GRANT IN AID AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK **2350902.70**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत अबदुल्लापुर
विकास खण्ड कांगड़ा

J.A

हस्ताक्षर..........
दिनांक..........

BANK DETAIL OF GP Abdullapur BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 01-04-21

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMT
1	General/5th FC	KCCB KANGRA	20033022585	668512
2	14TH FC	KCCB ZMANABAD	50055728954	702094
3	SBM/TSC	KCCB ZMANABAD	50055728987	23621.00
4	VKVNY	IDBIB KANGRA	159104000012892	144947.00
5	SDP	KCCB ZMANABAD	50055728091	386.00
6	MPLAD	KCCB ZMANABAD	50055728104	13008.00
7	15TH FC	HDFCB KANGRA	50100347348782	426028.00
8	CASH IN HAND			0.00
			TOTAL	1978596.00

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-22

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMT
1	General/5th FC	KCCB KANGRA	20033022585	779272.77
2	14TH FC	KCCB ZMANABAD	50055728954	688273.00
3	SBM/TSC	KCCB ZMANABAD	50055728987	16572.00
4	VKVNY	IDBIB KANGRA	159104000012892	125464.00
5	SDP	KCCB ZMANABAD	50055728091	13062.00
6	MPLAD	KCCB ZMANABAD	50055728104	13402.00
7	15TH FC	HDFCB KANGRA	50100347348782	1182929.30
8	CASH IN HAND			160.00
			TOTAL	2819135.07

BANK DETAIL OF GP Abdullapur BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-23

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMT
1	General/5th FC	KCCB KANGRA	20033022585	622600.77
2	14TH FC	KCCB ZMANABAD	50055728954	410008.00
3	SBM/TSC	KCCB ZMANABAD	50055728987	0.00
4	VKVNY	IDBIB KANGRA	159104000012892	291275.00
5	SDP	KCCB ZMANABAD	50055728091	149488.00
6	MPLAD	KCCB ZMANABAD	50055728104	13785.00
7	15TH FC	HDFCB KANGRA	50100347348782	1719549.00
8	CASH IN HAND			236.00
			TOTAL	3206941.77

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत अबदुल्लापुर
विकास खण्ड कांगड़ा

हस्ताक्षर..........
दिनांक..........

J.A

23

परिशिष्ट-"ख" - पैरा-7 के संदर्भ में

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT ABDULAPUR BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2021-22	691	50	0	34550	34550	0	34550

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT ABDULAPUR BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2022-23	692	50	34550	34600	69150	30950	38200

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत अबदुल्लापुर
विकास खण्ड कांगड़ा

प्रधान ग्राम पंचायत

हस्ताक्षर ....
दिनांक ....

J.A